मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/एफ-7-22/93/10/3 भोपाल, दिनांक 26-12-94

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश में निस्तार सुविधायें-भविष्य हेतु नई नीति ।

संदर्भ:- इस विभाग का पत्र क्रमांक 7/13/75/10/2 दिनांक 12-4-77.

----0----

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन साधारण के दैनिक जीवन में शासकीय वनों (जो वन विभाग के प्रबंध में है) से निस्तार सुविधाओं का बड़ा महत्व रहा है । यह निस्तार सुविधायें मुख्यतः जलाऊ लकड़ी, बांस, निस्तारी इमारती लकड़ी, कांटे तथा पशुओं की चराई बाबत् है ।

2/ राज्य शासन द्वारा संदर्भ अंकित पत्र के आधार पर जो सुविधायें दी जा रही थी उन सुविधाओं में संशोधन किया गया है । अतः अब यह सुविधायें निम्नानुसार है:-

(1) राज्य में प्रचलित निस्तार व्यवस्था को समाप्त करते हुये (बस्तर जिले एवं बसोड़ों के लिये प्रचलित प्रावधनों को छोड़कर) शेष क्षेत्र के लिये निम्नानुसार निस्तार नीति निर्धारित की जाती है :-

(क) निस्तार के अन्तर्गत सुविधा की पात्रता केवल उन ग्रमों के ग्रामीणों के लिये पूर्वानुसार रहेगी जो कि वनों की सीमा के पॉच किलामीटर की परिधि के अन्तर्गत स्थित है । पॉच किलोमीटर की परिधि की गणना में यदि किसी ग्राम का आंशिक भाग भी आता है तो वह पूर्ण ग्राम परिधि के भीतर जायेगा । ऐसे ग्रामों वन विभाग अधिसूचित करेगा ।

(ख) नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा के 5 कि.मी. की परिधी में या उनके बाहर स्थित हो, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई वयवस्था नहीं करेगा । इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेगें ।

(ग) पॉच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अन्तर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी । परन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणें को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

(घ) वनों से स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिय सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी,पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी ले जाने की सुविधा पूर्ववत् रहेगी ।

(2) पॉच किलामीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय संयुक्त वन प्रबंधन के लिये गठित ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जावेगा ।

(3) जिन पॉच किलोमीटर तक के ग्रामों में संयुक्त वन प्रबंध समिति गठित नहीं हुई है, वहॉं ऐसी समिति गठित होने तक उपलब्धता के आधार पर स्थापित विभागीय निस्तार डिपों से वनोपज का प्रदाया किया जायेगा । इस प्रकार के निस्तार डिपों की स्थापना ऐसे ग्रामों के समूल के लिये एकजाई रूप से की जायेगी ।

(4) वनों से पॉच किलोमीटर से अधिक दूरी वाले ग्रामों के लिये संबंधित ग्राम पंचायती द्वारा प्रस्ताव पारित कर वनोपज की मॉग की जाती है तो उपलब्धता के आधार पर उन्हें ऐसी वनोपज निर्धारित मूल्य पर जिसमें पूर्ण रॉयल्टी, विदोहन, परिवहन एवं अन्य वास्तविक व्यय का समावेश रहेगा, प्रदाय की जायेगी । तथा इसके लिये वनोपज का मूल्य अग्रिम रूप से पटाना होगा । इसके लिये ग्राम पंचायतों के पास ''रिवालविंग कोष'' हेतु वानिकी प्रोजेक्ट में प्रावधान करने के लिये ''प्रोजेक्ट निगोसियेशन्स'' के समय प्रायास किये जाऐ ।

(5) उपरोक्तानुसार वनोपज प्रदाय करने के पूर्व वन मंडल अधिकारी ग्राम पंचायतों को वनोपज की श्रेणीवार दरों की जानकारी देगा । ग्रामीणें को वनोपज वितरण एवं डिपों प्रबंधन का दायित्व ग्राम पंचायत का रहेगा । सामग्री वितरण करने हेतु ग्राम पंचायत अतिरिक्त वितरण व्यय एवं युक्तियुक्त लाभ को ध्यान में रखते हुये दर निर्धारण कर सकेगी ।

(6) वन विभाग द्वारा निस्तारी वनोपज का प्रदाय 1 जनवरी से 30 जून तक प्रति वर्ष किया जायेगा ।

(7) बस्तर जिले में तथा राज्य में बसोड़ों के लिये पूर्व निस्तार व्यवस्था यथावत प्रचलित रहेगी ।

(8) यह नई वयवस्था दिनांक 1-7-95/1-7-96 से प्रभावशील होगी ।

हस्ता.

(बी.एस.बासवान) प्रमुखसचिव

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

पृ.क्रमांक/एफ-7-22/93/10/3 भोपाल, दिनांक 26-12-94

प्रतिलिपि:-

1/- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

2/- मुख्य वन संरक्षक (टास्क फोर्स)

3/- समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

4/- संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

5/- समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश

6/- समस्त वन मंडलाधिकारी क्षेत्रीय मध्यप्रदेश

7/- समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश

8/- प्रमुख सचिव, म0प्र0/राजस्व/अ.जा.क./वित्त विभाग

हस्ता.

(बी.एस.बासवान) प्रमुखसचिव

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

बसोड़ परिवारों को बांस प्रदाय के संबंध में नीति

(मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के क्रमांक/एफ-7-22/93/10/3 दिनांक 8 अप्रैल 2002 द्वारा जारी आदेश)

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी बसोड़ परिवार को प्रदाय किये जाने वाले बांस पर देय रायल्टी पूर्णतः माफ की जाये । कटाई, संग्रहण, अभिलेख एवं परिवहन इत्यादि पर होने वाला व्यय पूर्व की भांति बांस की प्रदाय दरों में सम्मिलित किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(रतन पुरवार)
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

(मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के क्रमांक/एफ-7-22/93/10/3 दिनांक 8 अप्रैल 2002 द्वारा जारी आदेश)

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-7-22/93/10/3 दिनांक 8.04.2002 में आंशिक संशोधन करते हुये बसोड़ जाति के समान बसोर, बरूड, बॉसोर, बॉसोड़ी, बांसफोर, बसार एवं मान जाति तथा उनकी उपजातियों के परिवारों को भी प्रदाय किये जाने वाले बांस पर रायल्टी पूर्णतः माफ की जाए । शेष शर्ते यथावत् रहेंगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(एम.के. सपरा)
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

समितियों के माध्यम से निस्तार वनोपज के प्रदाय के संबंध में

(मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के परिपत्र क्रमांक /एफ-7/2/2006/10/3 दिनांक 15 मार्च 2007 द्वारा जारी स्पष्टीकरण)

संदर्भित ज्ञाप (म0प्र0 शासन, वन विभाग का ज्ञाप क्रमांक/एफ-7-22/93/10-3 दिनांक 23.12.1994) द्वारा मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन साधारण के दैनिक जीवन में शासकीय वनों से निस्तार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नई नीति जारी की गई है । इस नीति के बिन्दु क्रमांक-2 में यह प्रावधान है कि पांच कि.मी. की परिधि में आने वाले ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय संयुक्त वन प्रबंधन के लिए गठित ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा ।

समितियों के माध्यम से निस्तार वनोपज के प्रदाय के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिस ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर वनोपज मांग की जाती है, तो उपलब्धता के आधार पर उन्हें ऐसी वनोपज निर्धारित मूल्य प्राप्त करके प्रदाय की जाएगी । इसके लिए वनोपज का मूल्य अग्रिम रूप से भुगतान करना होगा । वनोपज का आपसी वितरण स्वयं करेगी तथा समिति के लिए विभाग की ओर से कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा ।

(रतन पुरवार)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

शवदहन के लिये जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने के संबंध में नीति

(मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के क्रमांक/एफ-7-22/93/10/3 दिनांक 20 अगस्त 1996 द्वारा जारी आदेश)

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में नई निस्तार नीति के अंतर्गत मुर्दो को जलाने के लिये जलाऊ लकडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूर्ववत् रखने के संबंध में निर्णय लिया गया कि:-

(1) नई निस्तार नीति में आंशित संशोधन करते हुए मुर्दो को जलाने के लिये जलाऊ लकड़ी उपभोक्ता दर पर वेंडर्स को उपलब्ध कराने की पूर्व व्यवस्था यथावत् रखी जाये ।
उक्त व्यवस्था दिनांक 01.07.1996 से लागू मानी जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(धर्मेन्द्र शुक्ला)
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग